

राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०

संख्या-जी-3788 / जी०एस०

दिनांक 24 सितम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर समय समय पर बैठकें होती रहती हैं जिसका कार्यवृत्त भी जारी होता है, किन्तु बहुधा यह देखा गया है कि इन बैठकों में उपस्थित होने वाले अधिकारियों की उपस्थिति इंगित नहीं की जाती है, जो कि उचित नहीं है।

जिस विषय से सम्बन्धित बैठक आहूत की जाती है उस विषय के प्रभारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों की उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें और उसे सम्बन्धित पत्रावली रखें। कार्यवृत्त में भी इसका उल्लेख किया जायेगा।



(महेश कुमार गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव श्री राज्यपाल।
- 2- विधिक परामर्शदाता/अपर विधिक परामर्शदाता।
- 3- वित्त नियंत्रक
- 4- विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा)/विशेष कार्याधिकारी (आई०टी०)
- 5- मुख्य सुरक्षा अधिकारी।
- 6- सहायक अभियन्ता (सिविल)/सहायक अभियन्ता(विद्युत)।
- 7- विशेष कार्याधिकारी, गृहस्थ अधिष्ठान।



(बद्रीनाथ सिंह)

विशेष सचिव श्री राज्यपाल